13.10.2020	वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली मे निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली मे दावा डिक्री किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	(signature) उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:01:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली

पीठासीनः– अधिकारी देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

तारीख रजू
08.12.2009

आर.सी.एम.एस
2009/00017

मु0नं0
85/09

ठाकुर जी बिहारी जी महाराज विराजमान टंटा हनुमान के सामने फूटाकोट करौली जरिये अध्यक्ष माथुर चतुर्वेदी समाज करौली मधुसूदन चतुर्वेदी पुत्र स्व0 श्री जवाहर लाल जी नि0 बरपाडा करौली एवं मंत्री ओमप्रकाश चतुर्वेदी पुत्र स्व0 श्री गौरी प्रसाद जी चतुर्वेदी जाति चतुर्वेदी नि0 छतपाडा करौली तह0 व जिला करौली

–वादी

बनाम

1. रूपकिशोर आयु 50 साल
2. रामकिशोर आयु 48 साल
3. मनमोहन आयु 45 साल

पिसरान स्व0 प्यारेलाल चतुर्वेदी

4. संतोष पुत्र स्व0 दिनेशचंद आयु 7 साल
5. हेमा पुत्री स्व0 दिनेशचंद आयु 5 साल

नावालिगान जरिये वली कुदरती मा मु. मीनाक्षी पत्नि स्व0 दिनेश

6. श्रीमति मीनाक्षी वेवा स्व0 दिनेशचंद आयु 35 साल जाति चतुर्वेदी नि0 नगरपालिका के पास करौली
7. श्रीमति शकुन्तला पत्नि पूरनसिंह जाति गुर्जर आयु 30 साल नि0 भगतपुरा गुडला तह0 व जिला करौली
8. श्रीमति फरमीद पत्नि स्व0 इमामुद्दीन आयु 68 साल जाति मुसलमान नि0 मदरसे के पास मौहल्ला ढोलीखार करौली तह0 करौली
9. श्रीमति अनचाही पत्नि शहजाद आयु 45 साल जाति मुसलमान नि0 करौली तह0व जिला करौली
10. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील करौली जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा 88, 183, 188 आर0टी0एक्ट

:निर्णयः

दिनांकः–13.10.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि माथुर चतुर्वेदी समाज करौली का एक मंदिर ठाकुरजी श्री बिहारीजी महाराज टंटा हनुमान के पास शहर करौली फूटाकोट पर स्थित है जिसकी सेवापूजा राजभोग का प्रबन्ध माथुर चतुर्वेदी समाज की कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा किया जाता है कार्यकारिणी का चुनाव विधान नियमावली के अनुसार समाज के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है वर्तमान में अध्यक्ष व मंत्री वादीगण है जो मंदिर के प्रबन्धक एवं मौतमिम है। वादी मंदिर की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि आराजी ख0नं0 2790, 2791, 2794 कुल किता 3 कुल रकवा 4 बीघा 9 विस्वा शहर करौली [illegible] तह0 करौली में स्थित है जो ठाकुरजी की खुद काश्त की भूमि है जिसे वादी [illegible] की ओर से साल दर साल भेज पर काश्तकारो से काश्त कराते चले आ रहे और [illegible] सरकारी वादीगण द्वारा अदा की जाती रही है जिसकी जमाबंदी वादपत्र के [illegible] उक्त आराजीयात से

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:01:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का मालिकाना काबिजाना सम्बन्ध नही रहा है ना है ना यह भूमि उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। वादी ठाकुरजी बिहारी शाश्वत नाबालिग है जिनकी उक्त खातेदारी की भूमि का हस्तान्तरण की किसी भी रीति से किसी दीगर व्यक्ति के हक में कानूनन नही किया जा सकता है ना ही हो सकता है प्रतिवादीगण नं0 1ता6 के पूर्वज प्यारेलाल के पिता जगन्नाथ चौबे अर्सा करीब 70 साल पूर्व मंदिर की सेवा पूजा करते थे उनके बाद स्व0 नथुआलाल चौबे व उनके पुत्र ओमप्रकाश द्वारा सेवा पूजा की जाती रही है। प्रतिवादीगण ने वादीगण से छिपाते हुये विवादित भूमि का खाता राजस्व कर्मचारियों से साजकर कर अपने नाम फर्जी तरीके से नामान्तरण तस्दीक करा लिया जो हक्क वादी पर बेअसर एवं निष्प्रभावी होने के कारण नामान्तरण सं0 1268 दि0 09.03.2007 से ही शून्य है वादी उक्त नामान्तरणों को नल एण्ड वोइड घोषित कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 1तर6 ने वादी से छिपाते हुये गुपचुप तरीके से बगैर किसी हक हकूक के आराजीयात के 4/5 हिस्सा भूमि को बजरिये वयनामा दि0 30.03.09 को प्रतिवादी नं0 8 को तथा 1/5 हिस्सा वजरिये वयनामा दि0 14.03.07 को प्रतिवादी नं0 7 के हक में एवं प्रतिवादी नं0 7 द्वारा वजरिये रजि0 वयनामा दि0 30.3.09 को प्रतिवादी नं0 9 के हक में वय कर दिया उक्त तीनो वयनामा हकूक वादी पर बेअसर एवं निष्प्रभाव होने के सवव वादी वयनामों को शून्य करार घोषित कराने का अधिकारी है। उक्त वयनामों के बाबत वादीगण को सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दि0 6.4.09 को कहने पर उसी दिन नकल दर0 देने पर दि0 8.4.09 को नकल प्राप्त होने पर हुयी तत्पश्चात नामान्तकरण सं0 732, 1268, 1285, 1510 की नकले प्रापत होने पर उक्त नामान्तकरण की फर्जकारी को जानकारी हुयी दि0 8.4.09 को नकला प्राप्त होते ही प्रतिवादीगण से नामान्तरणरा तस्दीक ना कराने व ठाकुरजी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा ना करने को दि0 15.8.09 को कहा तो प्रतिवादी नं0 1ता7 ने कहा कि हमें तो ठाकुरजी की जमीन बेच कर पैसे ऐठने थे जो प्राप्त कर लिये आपकी इच्छा हो जहाँ पुकारो प्रतिवादी न0 8 व 9 ने ऐलानिया धमकी दी कि हम किसी मंदिर को नही जानते हमने तो जमीन प्रतिवादीर नं0 1ता7 से खरीद की है। हम तो अपने नाम नामान्तरण तस्दीक करायेंगे व जमीन मे काश्त करेंगे आप रोकने वाले कौन होते हो और जबरदस्ती बाजरा बो दिया प्रतिवादीगण के इस कृत्य से हकूक वादी पर भारी कुठारा घात है इसलिए प्रतिवादी नं0 8 व 9 को विवादित भूमि स बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। और प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। अन्त में दावा वादी ड्रिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जबाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि आराजी ठाकुरजी की खुद काश्त भूमि नही है ना ही कभी पूर्व मे रही है नाही वादी मंदिर की ओर से कभी भेज पर काश्त पर दी गई है ना ही वादी मंदिर द्वारा कभी लगान सरकारी अदा की गई है। आराजी प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की है वादी मंदिर का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नही है प्रतिवादीगण को अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को हस्तान्तरित करने का रहन, वय करने का पूर्ण विधिक अधिकार है। उक्त आराजीयात पूर्व मे प्रतिवादी नं0 1ता6 के पूर्वज जगन्नाथ चौबे के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है और जागीर अधिग्रहण के पूर्व से ही जगन्नाथ उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार क़ाबिज रहे है। वादीगण का यह कथन पूर्णतः गलत है कि प्रतिवादीगण ने वादीगण से छिपाते हुये

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:01:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उक्त भूमि का खाता राजस्व कर्मियों से साजकर फर्जी तरीके से नामान्तकरण तस्दीक करा लिया जो हकूक वादी बेअसर है। उक्त आराजी जगन्नाथ के खातेदारी व कब्जे की रही है और जगन्नाथ की मृत्यु के बाद विरासत के आधार पर प्रतिवादी नं0 1ता6 के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुयी है। नामान्तकरण सं0 732 दि0 27.11.92 व नामान्तरण सं0 1268 दि09.3.07 वैध एव प्रभावी है शून्य नही है वादी उक्त नामान्तकरण को नल एण्ड बोइड घोषित कराने के अधिकारी नही है प्रति0 नं0 1ता6 ने वादीगण से छिपाते हुये प्रतिवादी नं0 7व8 को कोई बयनामा नही कराया है अपितु प्र0नं01ता6 ने उक्त आराजीयात को प्रतिवादी नं0 7 व 8 के हक में साधिकार खुले रूप में विक्रय किया है क्योकि प्रति0नं0 1ता6 भूमि के खातेदार काश्तकार है और प्रतिवादीगण को भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है प्रति नं0 7 द्वारा भी प्रति0 नं0 9 को हक में विक्रय साधिकार किया है और बयनामा दि0 30.3.09 व दि0 14.3.07 पूर्णत: वैध एवं प्रभावी है और वादीगण पर बाध्यकारी है वादीगण बयनामाओं को शून्य करार घोषित कराने के अधिकारी नही है। न्यायालय हाजा को बयनामा शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार नही है दावा सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है और न्यायालय हाजा को वादपत्र का श्रवणाधिकार नही हैं। वादीगण को भूमि के प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त नही है ना ही कभी पूर्व में रहा है दि0 15.8.09 को वादीगण ने प्रतिवादीगण से कोई बात नही की है प्र0नं0 8 व 9 द्वारा कोई धमकी वादीगण को नही दी है प्रतिवादी नं0 8 व 9 भूमि पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है और वादीगण ने झूठी कहानी तैयार की है प्रतिवादीगण ने फसल साधिकार बोई है वादीगण प्रतिवादी नं0 8 व 9 को बेदखल कराने अथवा प्रतिवादीगण के विक्रय किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादीगण को दि0 15.8.09 को अथवा किसी अन्य दिवस को प्रतिवादीगण के विरूद्व विनाय पैदा नही हुयी है। दावा वादीगण क्षेत्राधिकार विहीन व म्याद बाहर है अन्त में दावा वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाधक बिन्दू विरचित किये गये।

1. आया वादपत्र के पैरा नं0 2 के दर्ज आराजीयात ठा0 मन्दिर बिहारी जी महाराज की खुद काश्त की आराजीयात है जिसका इन्तजाम काश्त वादीगण करते है...........वादी
2. आया आराजीयात विवादित का खाता प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से साजकर गलत करा लिया है जो हकूक वादी पर बेअसर है...वादी
3. आया वादी नामा नं0 732 दि0 27.11.92 एवं नाम0 सं0 1268 दि0 9.3.07 को नल एण्ड बोइड घोषित कराने का अधिकारी है..वादी
4. आया वादपत्र के पैरा नं0 5 के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा कराये गये बयनामा हकूक वादी पर बेअसर एवं निष्प्रभावी होने से बयनामो को शून्य घोषित कराने का अधिकारी है...वादी
5. आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कराने का अधिकारी है कि वह आराजीयात मुतकाबिया का नामान्तरण अपने हक में नही करावे, रहन, बय मुन्तफिता नही करे कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित नही करे एवं आराजीयात में प्लाट बनाकर नही बेचे..वादी
6. आया प्रतिवादीगण की विविदित भूमि जरिये बयनामा खरीद की गई है............ प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:01:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

7. अनुतोष

वाद विवाधक बिन्दू वादीगण साक्ष्य ली गयी वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी pw, मधुसूदन चतुर्वेदी के बयान लेखबध्द कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 प्रदर्श–1 सायल वयनामा दि0 30.3.09 प्रदर्श–2 नकल वयनामा दि0 30.3.09 प्रदर्श–3 नकल नामान्तरण सं0 732 प्रदर्श–4 नकल नामान्तकरण सं0 1268 दिनांक प्रदर्श–5 नकल नामान्तकरण संख्या 1285 दिनांक प्रदर्श–6 नकल नामान्तरण सं0 1510 दिनांक प्रदर्श–7 नकल भूप्रबन्ध (सैटलमेन्ट) विभाग सम्वत् 2015 खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी प्रदर्श–8 एवं नकल वयनामा दि0 14.3.2007 प्रदर्श–9 प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये है। साक्ष्य वादी समाप्त की गयी।

साक्ष्य वादीगण बन्द होने के बाद साक्ष्य प्रतिवादीगण ली गयी। प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य ने प्रतिवादी dw रूपकिशोर के बयान लेखबध्द कराये है अन्य कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है। साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त कर बन्द की गयी।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली को अवलोकन किया गया। वकील वादीगण का बहस में कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण मंदिर श्री ठाकुरजी बिहारीजी की खुदकाश्त भूमि है चतुर्वेदी समाज का यह मंदिर वादीगण मंदिर के अध्यक्ष व मंत्री है मंदिर के राजभोग व पूजा सेवा की व्यवस्था करते है। वादी मंदिर शाश्वत नाबालिग है। प्रतिवादी नं0 1ता6 जगन्नाथ के सक्सेसर वारिसान है। सम्वत् 2015 की जमाबन्दी में पुजारी का नाम नही है भूमि मंदिर की खुद काश्त की दर्ज है। प्रतिवादी नं0 1ता6 को भूमि को अपने नाम खातेदारी में नामान्तरण से कराने का अधिकार नही है एवं भूमि को प्रतिवादीगण को बेचने का अधिकार नही है। जागीर रिजक्शन का कोई रिकॉर्ड पेश नही है। प्रतिवादीगण द्वारा सैटिलमेन्ट से पूर्व का कोई राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादीगण द्वारा अपने नाम का प्रस्तुत नही किया है। प्रतिवादीगण के हक में मंदिर की भूमि के हुये अवैघ खातेदारी इन्द्राज हकूक वादीगण पर बेअसर प्रभावहीन शून्य है और प्रतिवादी नपं0 1ता6 द्वारा भूमि के प्रतिवादी नं0 1ता9 के हक में किये गये वयनामा हकूक वादी मंदिर पर प्रारम्भ से ही शून्य बेअसर प्रभावहीन है। वादी मंदिर पर बाध्यकारी नही है। वादी अपने हक में खातेदारी घोषणा कराने एवं भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कराकर कब्जा वादी मंदिर प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का हकदार है। दावा वादी मंदिर ड्रिकी किया जावे।

वकील प्रतिवादीगण का बहस में कथन है कि भूमि वादी मंदिर की खुदकाश्त की भूमि नही है जागीर अधिग्रहण से पूर्व से ही भूमि प्रतवादीगण नं0 1ता6 के पूर्वजो के खातेदारी व कब्जे की रही है। नामान्तरणसं0 732 जगन्नाथ को विरासत का प्रतिवादीगण के पिता के नाम विरासत से दर्ज हुआ है कब्जा भूमि पर प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के पिता व पूर्वज जगन्नाथ का हमेशा से है। प्रतिवादी नं0 1ता6 द्वारा भूमि को सन् 2007 व 2009 में प्रतिवादी नं0 7ता9 को बेचान कर वयनामें पंजीयन कराये है जो वैघ है विक्रयपत्रो को शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नही है। दावा न्यायालय हाजा के सुनवाई योग्य नही है। दावा सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है दावा वादी म्याद बाहर हैं दावा वादी खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:01:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेज वयनामों व साक्ष्य मौखिक का विवेचन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है।

विवाधक सं0 1 को सावित करने का भार वादीगण पर है वादीगण के विवाधक सं0 1 के सम्बन्ध में वादी pw1 मधुसूदन द्वारा मौखिक साक्ष्य दी है कि वादी मधुसूदन व मंत्री ओमप्रकाश वादी मंदिर की सेवा पूजा व राजभोग की व्यवस्था व इन्तजाम करते है। एवं भूमि मंदिर की खुद काश्त की होने वावत नकल जमावन्दी सैटलमेन्ट सम्वत 2015 प्रदर्श–8 प्रस्तुत की है जिसके कालम नं0 5 में वादग्रस्त आराजीयात वादी मंदिर की खुद काश्त मे दर्ज है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादीगण नं0 1ता6 व उनके पूर्वज जगन्नाथ के खातेदारी का पत्रावली में प्रस्तुत नही किया गया है इस प्रकार विवाधक सं0 1 वादीगण द्वारा साबित किया गया है। विवाधक सं0 1 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णीत किया जाता है।

विवाधक सं0 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने इस सम्बन्ध में वादी pw1 मधुसूदन ने साक्ष्य दी है कि प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि मंदिर की खुद काश्त भूमि का नामान्तरण सं0 732 प्रदर्श–4 राजस्व कर्मियों से साजकर गलत दर्ज कराया है। वादी मंदिर शाश्वत नाबालिग है नाबालिग की भूमि में किसी अन्य व्यक्ति को कोई हक पैदा नही होते है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा उनके खातेदारी की भूमि हो ऐसा कोई राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2015 से पूर्व का प्रस्तुत नही किया है। वादीगण ने इस विवाधक को अपनी साक्ष्य से सावित किया है अतः विवाधक सं0 2 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णीत किया जाता है।

विवाधक सं0 03 को साबित करने का भार भी वादीगण पर है वादीगण ने इस सम्बन्ध में राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी सम्वत 2015 प्रदर्श–8 प्रस्तुत की है जिसमें वादग्रस्त भूमि मंदिर ठाकुरजी बिहारीजी की खुदकाश्त की भूमि दर्ज है वादी मंदिर शाश्वत नाबालिग है नाबालिग की भूमि में किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण प्रारम्भ से ही शून्य है। वयनामा एवं नामान्तरण सं0 732 दि0 27.11.92 व नामान्तरण सं0 1268 दि0 9.3.07 शून्य है। अतः विवाधक सं0 3 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय किया जाता है।

विवाधक सं0 4 को साबित करने का भर वादीगण पर है वादीगण ने इस सम्बन्ध में वादीगण ने नकल जमाबन्दी सम्वत 2015 प्रदर्श–8 प्रस्तुत की है जिसमें वादग्रस्त आराजीयात वादीगण मंदिर ठाकुरजी बिहारी जी के खुद काश्त खातेदारी मे दर्ज है वादी मंदिर शाश्वत नाबालिग है वादी मंदिर की भूमि का किसी अन्य व्यक्ति के हक में किये गये हस्तान्तरण शून्य व प्रभावहीन है इसलिए वयनामा प्रदर्श–2 व 3 एवं प्रदर्श–9 प्रारम्भ से ही शून्य है प्रतिवादीगण द्वारा कोई राजस्व रिकॉर्ड अपने खातेदारी में होने का पत्रावली मे सम्वत 2015 से पूर्व का प्रस्तुत नही किया गया है। शून्य (Ab inirio void) है विवाधक सं0 4 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णीत किया जाता है।

विवाधक सं0 5 को भी सावित करने का भार वादीगण पर है वादीगण ने भूमि मंदिर वादीगण की खुद काश्त खातेदारी की होना जमाबन्दी सम्वत 2015 प्रदर्श–8 से बताया

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:01:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

है एवं वादी pw1 मधुसूदन द्वारा भूमि पर भेज पर साल–दर–साल प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजो को देना व प्रतिवादीगण का पूर्वज जगन्नाथ मंदिर का पुजारी होना बताया है जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नही किया गया है भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा वादीगण मंदिर का इजाजती कब्जा है वादी मंदिर भूमि का खातेदार काश्तकार है भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा मंदिर की कब्जा माने जाने योग्य है वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने एवं प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल कराने के हकदार हैं। विवाधक सं0 5 वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णीत किया जाता है।

विवाधक 6 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण के पूर्वज जगन्नाथ के समय की खातेदारी की होना कथन करते हुये वयनामा से भूमि विक्रय करने का व क्रय करने का कथन किया है परन्तु कोई राजस्व रिकॉर्ड जगन्नाथ के खातेदारी की भूमि होने का प्रस्तुत नही किया है भूमि वादीगण मंदिर के खुद काश्त खातेदारी की है वादी मंदिर शाश्वत नाबालिग है नाबालिग की भूमि के हस्तान्तरण से प्रतिवादीगण को भूमि में कोई हक हकूक खातेदारी निहित नही होते है वयनामा शून्य प्रभावहीन है। अतः विवाधक सं0 6 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के पक्ष में तय कर निर्णीत किया जाता है।

विवाधक सं0 7 अनुतोष है विवाधक सं0 1ता5 के वादीगण के पक्ष मे तय हो जाने से वादग्रस्त आराजीयात वादीगण मंदिर श्री ठाकुरजी बिहारीजी की खुदकाश्त की खातेदारी व कब्जे काश्त की होना साबित है प्रतिवादीगण के हक में सम्वत 2015 के बाद किये गये राजस्व इन्द्राज व वयनामा हस्तान्तरण वादीगण मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने से प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावहीन है वादीगण मंदिर की हक में खातेदारी घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती कराने एवं भूमि पर प्रतिवादीगण को बेदखल कराने एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने के हकदार है। दावा वादीगण ड्रिकी योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण ड्रिकी किया जाता है। वादीगण मंदिर ठाकुरजी बिहारीजी विराजमान करौली को वादग्रस्त आराजी ख0नं0 2790, 2791, 2794 कुल किता 3 कुल रकवा 4 बीघा 9 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नं0 8 तह0 करौली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है वादी मंदिर मूर्ति के हक में राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी इन्द्राज अमल किये जावे। वादी मंदिर को भूमि प्रतिवादीगण से दखल कराकर वादी मंदिर को कब्जा सम्भलवाया जावे। नामान्तरण 732, 1268, 1265,1510 व वयनामा दि0 14.03.07 व 30.3.09 जो प्रतिवादी नं0 1ता6 द्वारा प्रतिवादी नं0 7ता9 के हक में कराये गये है हक हकूक खातेदारी वादी मंदिर पर शून्य प्रभावहीन रहेंगे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरण नहीं करे। खर्चा पक्षकारन अपना अपना वहन करेंगे। तदानुसार पर्चा ड्रिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:01:27 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Scanned with CamScanner